

एस्सार स्टील लिमिटेड तथा अन्य

बनाम

भारत संघ तथा अन्य

29 मार्च, 2007

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.]

आयात-निर्यात:

परियोजना आयात विनियम, 1986-आयातक ने आयात पत्र प्रस्तुत किए-अस्थायी आंकलन -विभाग ने आंकलन योग्य मूल्य में डी. एम. 37.40 मिलियन की वृद्धि की। उक्त आधार पर आयातक द्वारा रूपये 6.02 करोड की अतिरिक्त शुल्क राशि अदा की-विरोध के तहत भुगतान-न्यायाधिकरण ने धनवापसी का निर्देश दिया-विभाग ने इस अदालत के समक्ष अपील दायर की, जिसने अंतरिम आदेश द्वारा धनवापसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन धनवापसी के लिए आयातक की पात्रता को बरकरार रखा-आगे यह भी कहा कि यदि विभाग अपील में सफल हो जाता है, तो धनवापसी की राशि आयातक द्वारा धनवापसी की तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से उसे वापस कर दी जाएगी-दीवानी अपील का निपटारा किया गया जिसमें 23

मिलियन डी. एम. की सीमा तक आकलन योग्य मूल्य में अतिरिक्त राशि को अलग रखा गया-

अभिनिर्धारित: विभाग डीएम 37.40 मिलियन का आंकलन योग्य मूल्य बढ़ाने में अपनी अपील में विफल रहा-इन परिस्थितियों में, विभाग द्वारा अंतरिम आदेश के तहत रुपये 6.02 करोड़ पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिनांक 28-10-1991 (धनवापसी दिनांक) से 10-07-1997 (जिस तारीख को विभाग ने 6.02 करोड़ रुपये की वसूली बैंक गारंटी को भुनाकर की थी) का दावा पोषणीय नहीं है।

आयातक-अपीलार्थी ने आयात पत्र प्रस्तुत किए जिस पर परियोजना आयात विनियम, 1986 के तहत अस्थायी आंकलन किया गया था। घोषित आकलन मूल्य 46.75 मिलियन को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसने 84.15 मिलियन के मूल्य में वृद्धि की, जिस कारण, अपीलार्थी ने अतिरिक्त शुल्क के रूप में 6.02 करोड़, विरोध के तहत चुकाए। भुगतान करने पर, आयातित वस्तुओं को मंजूरी दे दी गयी। न्यायाधिकरण द्वारा हालांकि अपीलार्थी के पक्ष में रुपये 6.02 करोड़ की धन वापसी अभिनिर्धारित की गई। विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने अंतरिम आदेश दिनांकित 9-9-1991 द्वारा धनवापसी पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार किया ।

न्यायालय द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन अपीलार्थी की धनवापसी की पात्रता को बरकरार रखा और आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यदि विभाग अपील में सफल हो जाता है, तो धनवापसी की राशि अपीलार्थी द्वारा उस पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वापस कर दी जाएगी। अपील का अंत में निपटारा करते हुए अदालत ने डी. एम. 23 मिलियन की सीमा तक इसे जोड़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद अंतिम मूल्यांकन पारित किया गया और विभेदक शुल्क को कम कर दिया गया, जिसका भुगतान किया गया। विभाग द्वारा अपीलार्थी की ओर से दी गई प्रत्याभूति से 6.02 करोड़ रुपये दिनांक 10-7-1997 को वसूले गये जबकि मुकदमा चल रहा था।

विभाग द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी दिनांकित 9-9-1991 के अंतरिम आदेश के तहत दिनांक 28-10-1991 (धनवापसी दिनांक) से 10-07-1997 (जिस तारीख को विभाग ने 6.02 करोड़ रुपये की वसूली बैंक गारंटी को भुनाकर की थी) तक 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से रुपये 6.02 करोड़ पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पक्षकारों के बीच अंतरिम आदेश दिनांकित 9-9-1991 की व्याख्या के सम्बन्ध में विवाद निहित है

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. इस न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांकित 9.9.1991 के तहत विभाग 6.02 करोड़ रुपये पर दिनांक 28.10.1991 से 10.7.1997 की अवधि के दौरान 18 % वार्षिक दर पर ब्याज का हकदार नहीं था। [पैरा 12] [546-जी]

2. वर्तमान मामले में पूरा विवाद असंगत है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश विभाग द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर था। आयातक को रुपये 6.02 करोड़ निकालने की अनुमति दी गई थी। 6.02 करोड़। यदि विभाग अपील में सफल हो जाता है तो आयातक राशि को बहाल करने हेतु वचन बद्ध था। वर्तमान मामले में, आकलन योग्य मूल्य और उस पर देय शुल्क की राशि के बीच वैचारिक अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। घोषित मूल्य डीएम 46.75 मिलियन था। उक्त तथ्य विभाग को स्वीकार्य नहीं था। विभाग द्वारा मूल्य को डीएम 46.75 मिलियन से बढ़ाकर डीएम 84.15 मिलियन कर दिया गया ।

विभाग ने कुछ वस्तुओं को शामिल किया। आयातक ने इस तरह के समावेश पर आपत्ति उठाई । मूल्य की लोडिंग डीएम 37.40 मिलियन के बराबर थी। अंतिम सुनवाई में, इस न्यायालय ने डीएम 37.40 मिलियन में

से डीएम 23 मिलियन की सीमा तक जोड़ने की अनुमति नहीं दी, इसलिए, आयातक काफी हद तक आकलन योग्य मूल्य को कम करवाने में सफल रहा। 6.02 करोड़ रुपये की शुल्क राशि कुछ वस्तुओं की लोडिंग पर आधारित था जिसे इस न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

शुल्क, आकलन योग्य मूल्य से प्राप्त होता है। अंतिम मूल्यांकन के आदेश से देखा जा सकता है, अंतर शुल्क राशि 13.95 करोड़ रुपये से 10.63 करोड़ रुपये (लगभग.) कम हो गई। अंतिम मूल्यांकन आदेश में आयातक द्वारा मध्यावधि के दौरान भुगतान की गई राशि का पूरा विवरण दिया गया है। जब मुकदमा लंबित था तब विभाग द्वारा 6.02 करोड़ दिनांक 10-07-1997 को वसूल किये गये: विभाग द्वारा दिनांक 1.11.2000 को 2.17 करोड़ वसूल किये गये: आयातक ने रुपये 50 लाख का भुगतान किया तथा आयातक ने रुपये 75 लाख का दिनांक 10.2.2001 को भुगतान किया। कुल मिलाकर रुपये 9.44 करोड़ (लगभग) एकत्र/भुगतान किया गया और शेष राशि रुपये 1.19 करोड़ रही। यह राशि भी चुका दी गई है। उक्त परिस्थितियों में, विभाग पूरी राशि रुपये 6.02 करोड़ पर ब्याज की वसूली नहीं कर सकता है जो कि शुल्क राशि है जिसकी गणना बढ़ा हुआ/भरा हुआ आकलन योग्य मूल्य डी. एम. 37.40 मिलियन है।

विभाग डी. एम. 37.40 मिलियन आकलन योग्य मूल्य को लोड करने में अपनी अपील में विफल रहा है। डी. एम. 23 मिलियन की सीमा को जोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत ब्याज वसूलने का प्रश्न उपरोक्त अवधि हेतु उत्पन्न नहीं होता है। [पैरा 10] [545-एफ-एच; 546-ए-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील सं. 202

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के एस.सी.ए.सं. 12661/2000 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 06.02.2001 से।

एस. गणेश और एस. के. बगारिया, पी. कटकी, एस. गुप्ता, विपिन जैन और मीनाक्षी अरोड़ा- अपीलार्थियों के लिए।

रवींद्र श्रीवास्तव, ए. सुब्बा राव, टी. ए. खान, बी. कृष्ण प्रसाद, कुणाल वर्मा, अर्जुन, राजुल श्रीवास्तव और एम. मामन-उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया-

कापडिया, जे.

1. इन दीवानी अपीलों में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9.9.1991 जो कि सिविल अपील सं. 3152-53 के तहत पारित किया गया था, के निर्वचन पर विवाद निहित है।

2. एस्सार स्टील लिमिटेड (संक्षेप में "आयातक") ने आयात पत्र प्रस्तुत किए जिस पर परियोजना आयात विनियम 1986 के तहत अस्थायी मूल्यांकन किया गया था। घोषित मूल्य डीएम 46.75 मिलियन था जिस पर आयातक ने 7.93 करोड़ शुल्क के रूप में का भुगतान किया। विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दिनांकित 24.10.1988 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कुल संव्यवहार डी. एम. 84.15 मिलियन पर अस्थायी आकलन किया। विभाग ने लेन-देन मूल्य को डी. एम. 46.75 मिलियन से डी. एम. 84.15 मिलियन बढ़ा दिया अर्थात् डी. एम. 37.40 मिलियन की वृद्धि की। विभाग ने कुछ तकनीकी शुल्क लगाकर मूल्यांकन योग्य मूल्य को बढ़ा दिया।

विभाग द्वारा अस्थायी आंकलन के तहत तदनुसार आयातक से रुपये 13.95 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आयातक ने रुपये 7.93 करोड़, बिना शर्त, के भुगतान किया था। लोडिंग के बाद उन्होंने रुपये 6.02 करोड़ विरोध के तहत अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। इस प्रकार, बढी हुई लेन-देन राशि डी. एम. 37.40 के

कारण आयातक द्वारा शुल्क की विवादित राशि रुपये 6.02 करोड़ भुगतान की गई ।

आयातक द्वारा 15/16.12.1988 को राशि का भुगतान किया गया था। भुगतान करने पर, सामान को 15/16.12.1988 को मंजूरी दे दी गई।

3. इस निर्णय में सुविधा के लिए दिए गए आंकड़ों को सम संख्या में रखा गया है।

4. आयातक द्वारा इस आदेश को सी. ई. जी. ए. टी. ("न्यायाधिकरण") के समक्ष चौनती दी गई। न्यायाधिकरण ने दिनांक 13.2.1991 के फैसले से आयातक के पक्ष में अपील का फैसला किया और रुपये 6.02 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर विभाग सिविल अपील संख्या 3152-53 / 91 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आया है। दिनांक 9.9.1991 को प्रारंभिक सुनवाई के समय निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"स्थगन के लिए आवेदन पर, हम सोचते हैं, धन वापसी को रोकने का आदेश देना उचित नहीं है। राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन प्रत्यर्थी सीमा शुल्क

कलेक्टर(निवारक) अहमदाबाद की संतुष्टि के लिए धनवापसी का हकदार होगा। मौजूदा बैंक गारंटी के बदले में एक नई बैंक गारंटी, प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक गारंटी तब तक के लिए होगी जब तक अपील लंबित रहती है। बैंक गारंटी उपरोक्त शर्तों के अधीन होगी। बैंक गारंटी प्रस्तुती की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर धन वापसी की जावेगी। यदि अपीलार्थी अपील में सफल हो जाते हैं, तो राशि आदेश के अनुसार 18 % प्रति वर्ष की दर से पुनर्स्थापित की जाएगी।"

5. निर्णय और आदेश दिनांकित 19.11.1996 द्वारा, इस न्यायालय ने विभाग की सिविल अपील संख्या 3152-53 / 91 का निस्तारण किया। यह माना गया था कि आयातक द्वारा शुल्क का भुगतान सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को किया गया था तथा आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं था। आगे यह भी कहा गया कि इंजीनियरिंग और परामर्श शुल्क जो विदेशी कंपनी को दिया गया संयंत्र के मूल्य में पूरी तरह से शामिल नहीं था। केवल संयंत्र को नष्ट करने के लिए किया गया खर्च शामिल था। संक्षेप में, डी. एम. 37.40 मिलियन में से न्यायालय द्वारा डी. एम. 23 मिलियन आयातक के पक्ष में तथा डी. एम.

14.3 मिलियन विभाग के पक्ष में शामिल थे। दूसरे शब्दों में आंकलनकता अपील में काफी हद तक सफल रहा। इस न्यायालय ने 23 मिलियन डी. एम. की सीमा तक अतिरिक्त राशि को अलग कर दिया।

6. इस न्यायालय के निर्णय के बाद, अंततः अंतिम मूल्यांकन आदेश विभाग द्वारा 16.2.2001 पर पारित किया गया था। यह आदेश उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6.2.2001 के विवादित फैसले के बाद पारित किया गया है। दिनांक 16.2.2001 के अंतिम मूल्यांकन आदेश के तहत, डी. एम. 23 मिलियन की सीमा तक परिवर्धन को हटाने के कारण आयातक द्वारा देय अंतर शुल्क घटकर रु. 10,63,39,665 / - रहा गया। अंतिम मूल्यांकन आदेश के अनुसार आयातक पहले ही 9,44,29,850 / - रुपये का भुगतान कर चुका था। शेष राशि रुपये 1,19,09,815 / - पूर्व से ही आयातक द्वारा भुगतान की जा चुकी थी। दूसरे शब्दों में, पूरा खाता निपट चुका है।

7. विभाग द्वारा तर्क दिया गया है कि अंतरिम आदेश दिनांकित 9.9.1991 के तहत आयातक रुपये पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश के तहत यह निर्धारित किया गया था कि यदि विभाग सिविल अपील संख्या 3152-53 / 91 में सफल होता है तो आयातक 18

प्रतिशत ब्याज के साथ विभाग को वापस करने के लिए उत्तरदायी था। पूरा विवाद इस अंतरिम आदेश के इर्द-गिर्द घूमता है।

8. हमारी राय में, यह मुकदमा पूरी तरह से अनुचित और समय व्यर्थ करने वाला था। एक ओर, आयातक का तर्क था कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत, जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, अस्थायी आंकलन पर ब्याज लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। आयातक के अनुसार, विभाग केवल अंतिम आंकलन पर ही ब्याज लगा सकता था। आयातक के अनुसार विभाग केवल मात्र अंतिम मूल्यांकन पर ब्याज रोपित कर सकता था। आयातक के अनुसार, वर्तमान मामला सितंबर से नवंबर, 1988 की अवधि के दौरान आयात से संबंधित है।

आयातक के अनुसार उस समय अस्थायी मूल्यांकन पर ब्याज रोपित करने का कोई प्रावधान नहीं था। आयातक के अनुसार, धारा 47 (2) वर्तमान मामले में लागू नहीं थी। आयातक के अनुसार, प्रासंगिक समय पर, ब्याज केवल उस मामले में देय था जब आयातक निकासी के समय धारा 47 (1) के तहत आयात शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, उस तारीख से 5 दिनों के भीतर जिस दिन उसे शुल्क के भुगतान के लिए आयात पत्र वापस किया जाता है और वह भी विभाग द्वारा उस स्तर पर मांगी गई शुल्क की राशि पर।

आयातक के अनुसार, जैसा कि उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है, आयात शुल्क का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया गया था और परिस्थितियों में, धारा 47 (2) लागू नहीं थी। आयातक की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि विभाग आयातक को नहीं बुला सकता है। इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर ब्याज का भुगतान करना जो अंततः अंतिम निर्णय दिनांक 19.11.1996 में विलय हो गया। आयातक की ओर से अंत में यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, अंतिम मूल्यांकन आदेश केवल 16.2.2001 को पारित किया गया था; कि 28.10.1991 से 10.7.1997 की अवधि के दौरान कोई अंतिम मूल्यांकन आदेश नहीं था; कि आयातक सफल रहा है। और तथ्य यह है कि कानून को 2006 के अधिनियम 29 द्वारा धारा 18 (3) के तहत अधिनियम 29 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके तहत अनंतिम मूल्यांकन पर भी ब्याज लगाया जा सकता है, इंगित करता है कि धारा 47 (2) के परंतुक में उल्लिखित सीमित सीमा को छोड़कर अनंतिम मूल्यांकन पर ब्याज लेने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में कोई प्रावधान नहीं था, जो इस मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होता है। कि, अंतिम आदेश में अंतरिम आदेश के विलय का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं था।

9. विभाग के अनुसार, दूसरी ओर, न्यायाधिकरण ने 6.02 करोड़ रुपये की वापसी का आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण के अनुसार, आकलन योग्य मूल्य तकनीकी शुल्क/शुल्क के कारण भारित होने के लिए उत्तरदायी नहीं था। विभाग ने दीवानी अपील संख्या दायर की थी। 3152-53 / 91 धनवापसी प्रदान करने वाले न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक सुनवाई के चरण में जब विभाग ने धनवापसी पर रोक लगाने का आदेश मांगा, तो आयातक को 6.02 करोड़ रुपये कलेक्टर की संतुष्टी अनुरूप बैंक गारंटी देने के अधीन वापस करने की अनुमति दी गई।

अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि रुपये 6.02 करोड़ यदि विभाग उक्त दीवानी अपीलों में सफल हो जाता है तो आयातक विभाग को धनवापसी की तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 6.02 करोड़ रुपये वापस करेगा। विभाग ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि उपरोक्त अंतरिम आदेश को देखते हुए, विभाग रुपये 6.02 करोड़ दिनांक 28.10.1991 से 10.7.1997 तक जिस तारीख को विभाग ने आयातक द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुनाया इस पर ब्याज का हकदार है।

10. जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामले में पूरा विवाद असंगत है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश स्थगन आवेदन पर था विभाग द्वारा बनाया गया। आयातक को रुपये 6.02 करोड़ निकालने की अनुमति दी गई थी। यदि विभाग अपील में सफल रहता है तो आयातक ने राशि को बहाल करने का बीड़ा उठाया था। वर्तमान मामले में, आकलन योग्य मूल्य और उस पर देय शुल्क की राशि के बीच वैचारिक अंतर का ध्यान रखना आवश्यक है जैसा कि ऊपर बताया गया है। घोषित मूल्य डीएम 46.75 मिलियन था।

विभाग ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मूल्य डीएम 46.75 मिलियन को डीएम 84.15 तक मिलियन बढ़ाया। विभाग ने कुछ वस्तुओं को शामिल किया। आयातक ने इस तरह के समावेश पर आपत्ति उठाई। मूल्य की लोडिंग डीएम 37.40 मिलियन के बराबर थी। अंतिम सुनवाई में, इस न्यायालय ने डीएम 37.40 मिलियन में से डीएम 23 मिलियन की सीमा तक जोड़ने की अनुमति नहीं दी, इसलिए, आयातक काफी हद तक आकलन योग्य मूल्य को कम करवाने में सफल रहा। 6.02 करोड़ रुपये की शुल्क राशि कुछ वस्तुओं की लोडिंग पर आधारित था जिसे इस न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। शुल्क, आकलन योग्य मूल्य से प्राप्त होता है। अंतिम मूल्यांकन के आदेश से देखा जा सकता है, अंतर शुल्क

राशि 13.95 करोड़ रुपये से 10.63 करोड़ रुपये (लगभग.) कम हो गई। अंतिम मूल्यांकन आदेश में आयातक द्वारा मध्यावधि के दौरान भुगतान की गई राशि का पूरा विवरण दिया गया है।

जब मुकदमा लंबित था तब विभाग द्वारा 6.02 करोड़ दिनांक 10-07-1997 को वसूल किये गये: विभाग द्वारा दिनांक 1.11.2000 को 2.17 करोड़ वसूल किये गये: आयातक ने रुपये 50 लाख का भुगतान किया तथा आयातक ने रुपये 75 लाख का दिनांक 10.2.2001 को भुगतान किया। कुल मिलाकर रुपये 9.44 करोड़ (लगभग) एकत्र/भुगतान किया गया और शेष राशि रुपये 1. 19 करोड़ रही ।

यह राशि भी चुका दी गई है। उक्त परिस्थितियों में, विभाग पूरी राशि रुपये 6.02 करोड़ पर ब्याज की वसूली नहीं कर सकता है जो कि शुल्क राशि है जिसकी गणना बढ़ा हुआ/भरा हुआ आकलन योग्य मूल्य डी. एम. 37.40 मिलियन है। विभाग डी. एम. 37.40 मिलियन आकलन योग्य मूल्य को लोड करने में अपनी अपील में विफल रहा है। डी. एम. 23 मिलियन की सीमा को जोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत ब्याज वसूलने का प्रश्न उपरोक्त अवधि हेतु उत्पन्न नहीं होता है। हम सीमा शुल्क अधिनियम,

1962 के तहत ब्याज के संबंध में विवाद में नहीं जाना चाहते हैं, जैसा कि 1988 में था।

11. समापन से पहले, यह कहना उचित होगा कि आयातक और विभाग दोनों ने विशेष सिविल आवेदन संख्या 12661/2000 के तहत गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 6.2.2001 के विवादित फैसले के खिलाफ इस अदालत में अपील की है। उच्च न्यायालय के प्रति निष्पक्षता में, हम कह सकते हैं कि अंतिम मूल्यांकन आदेश 16.2.2001 को पारित किया गया था जो विवादित निर्णय के बाद है। विवादित फैसले में, यह कहा गया है कि पक्षों को दिनांकित 9.9.1991 के अंतरिम आदेश के स्पष्टीकरण के लिए इस अदालत का रुख करना चाहिए था। हमने स्थिति की व्याख्या व आदेश को स्पष्ट कर दिया है। हम विवाद का विस्तार नहीं करना चाहते हैं। इस मामले में न्याय हुआ है। खर्चों का निपटारा कर दिया गया है। तदनुसार, हम विवादित फैसले को अपास्त करते हैं।

12. उपरोक्त कारणों से, व्यापक विवाद में गए बिना, कानून के सवाल को खुला रखते हुए, हमारा मानना है कि विभाग रुपये 6.02 करोड़ पर इस न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांकित 9.9.1991 के तहत 28.10.1991 से 10.7.1997 की अवधि के दौरान 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार नहीं था।

13. तदनुसार, दोनों अपीलों का निस्तारण बिना किसी खर्च के आदेश के किया जाता है।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश शर्मा प्रथम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।